17/8/11

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या 97/11 निर्णय दिनांकः- 3-8-2022
(जीसीएमएस संख्या 2011/00042)

1. जगन्नाथ पुत्र शिवरतन जाति ब्राहमण निवासी नोखा मण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर। (मृतक)
1/1. शान्ति देवी पत्नि स्व. जगन्नाथ जाति ब्राहमण निवासी नोखा मण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर।
1/2. ईश्वरलाल पुत्र स्व. जगन्नाथ जाति ब्राहमण निवासी नोखा मण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर।
1/3. राजू पुत्र स्व. जगन्नाथ जाति ब्राहमण निवासी नोखा मण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर।
1/4. गायत्री पुत्री स्व. जगन्नाथ जाति ब्राहमण निवासी नोखा मण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर।
1/5. आशा पुत्री स्व. जगन्नाथ जाति ब्राहमण निवासी नोखा मण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर। —अपीलांटस्

—बनाम—

1. जमना बैवा पोकरराम जाति ब्राहमण निवासी लूणा तहसील फलौदी जिला जोधपुर।
2. राधा बेवा शिवरतन
3/1. राधा पत्नि स्व. बींझराज
3/2. रामकिसन पुत्र बींझराज
3/3. लक्ष्मण पुत्र बींझराज
3/4. मनोहर पुत्र बींझराज
3/5. हनुमान पुत्र बींझराज
3/6. भोजराज पुत्र बींझराज
3/7. मोडाराम पुत्र बींझराज
3/8. भैराराम पुत्र बींझराज
3/9. किरण पुत्री बींझराज

(2 से 3/9 तक:) जाति ब्राहमण निवासी नोखा मण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर।

4. मु. सिद्वी पत्नि पूनमचन्द
5. मु. ईमरती पुत्री शिवरतन पत्नि हनुमान
6. मु. जमना पुत्री शिवरतन पत्नि शिवकरण जाति ब्राहमण निवासी बांगड़सर तहसील कोलायत।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 27–05–2011
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितिः–

1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री दौलतसिंह तवंर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 27–05–2011 जिसके द्वारा अपीलांट् का वाद विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि वाक ग्राम कोलासर तहसील बीकानेर के खेत खसरा नम्बर 205 तादादी 28 बीघा 12 बिस्वा भूमि अपीलांट् के दादा व पिता शिवरतन पुत्र धन्नाराम के समय से निरन्तर कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादग्रस्त भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 317, 318 व 494 पैमूद हुए है, के धोषणा का दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने पर सहायक कलेक्टर, बीकानेर व तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण), बीकानेर व कालान्तर में उपखण्ड अधिकारी नोखा में स्थानान्तरित किया गया। जबकि वादग्रस्त भूमि तहसील बीकानेर से संबंधित होने पर आराजी जैर पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार, अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं होने पर भी उनके द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि का सम्पूर्ण रिकार्ड अपने नाम का होने के संबंध में प्रस्तुत किये गये थे। अपीलांट् द्वारा संवत् 2012 से पूर्व अर्थात सवंत् 2003 से रिकार्डेड कब्जा व काश्त होने के संबंध में पिता के नाम की मिसल बन्दोबस्त वर्ष 2006, जमाबन्दी संवत् 2013, जमाबन्दी संवत् 2018–2021, खसरा नम्बर 205 का मिलान क्षेत्रफल, जिसके आधार पर नये खसरा नम्बर 317–318 व 494 बने है, के अतिरिक्त जमाबन्दी संवत् 2010 व 2013 प्रस्तुत की गई थी। इस प्रकार तमाम राजस्व रिकार्ड में अपीलांट् व अपीलांट् के पिता का नाम दर्ज रिकार्ड चल आ रहा था। जिसे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत रूप से दर्ज किये जाने की स्थिति में उक्त गलत इन्द्राज को वादी के नाम से दर्ज करवाने हेतु धोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया गया था। अदालत मातहत द्वारा तमाम राजस्व रिकार्ड अपीलांट्/वादी के नाम दर्ज होते हुए भी अपीलांट् का वादपत्र खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित वादग्रस्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट अथवा मौके की जॉच नहीं की गई। अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र वादी/रेस्पोडेन्ट्स के कथन मात्र पर विश्वास करते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड पर किसी प्रकार का कोई गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य मुख्य विवाद वादग्रस्त भूमि पर अधिकारों को लेकर है, जिसकी पुष्टि मात्र राजस्व दस्तावेजों के आधार पर ही होनी होती है, प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट्स को बेजा फायदा पहुँचानें के नियत मात्र से प्रस्तुत दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए पारित किया जाना प्रथम दृष्टया ही साबित है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व वाद प्रकिया को नहीं अपनाया गया है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व वादपत्र पर न तो तनकीयात् कायम की गई ना ही साक्ष्य व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा धोषणा व रिकार्ड दुरुस्ती का था, ऐसी स्थिति में स्टेट जोकि भूमिधारक होता है, का जवाब लिया जाना आवश्यक था, अदालत मातहत द्वारा स्टेट का जवाब बन्द करते हुए व पैरोकारराज को बिना बुलाये आदेश जैर अपील

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पारित किया गया है ऐसा आदेश जैर अपील विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से काबिज खारिज आदेश है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील जो निरस्त किये जाने योग्य होने निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट् की अपील स्वीकार करते हुए अपीलांट् का नाम वादग्रस्त भूमि से संबंधित समस्त रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के स्थान पर दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि तहसील बीकानेर के ग्राम कोलासर के खेत खसरा नम्बर 205 तादादी 28 बीघा 12 बिस्वा वर्तमान खसरा नम्बर 217, 318, 494 तादादी 6.89 हेक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती हेतु अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र पर अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जरिये समन तलब किये जाने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये तथा जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम कोलायत तहसील बीकानेर के खेत खसरा नम्बर 205 तादादी 28 बीघा 12 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को विधिवत आवंटित हुई थी तथा संवत् 2019 से उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि के बाबत् संवत् 2019 से निरन्तर लगान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदा किया जा रहा है। उक्त भूमि संवत् 2019 में राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज की गई थी। ऐसीस्थिति में वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट् के कब्जे काश्त का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अपीलांट् द्वारा बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जोकि एक विधवा महिला है कि भूमि को हड़पने की नियत मात्र से अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् विधि सम्मत तरीके से खारिज किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत् रूप से उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार माना गया है। प्रकरण में जहाँ पर विद्वान अभिभाषक

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट् की आपत्ति की अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष जैरकार वादपत्र में वादप्रक्रिया अर्थात जवाब दावा व तनकीयात् कायम नहीं की गई है, इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कथन किया गया कि अदालत मातहत के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के उपस्थित नहीं आने, प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने इकबाल जवाब दावा पेश करने व स्टेट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण तनकीयात् कायम नहीं करते हुए वादपत्र का निस्तारण उनके समक्ष प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसरण में किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट् की उक्त आपत्ति का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा वादपत्र की तमाम प्रकिया को अपनाते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27—05—2011 के माध्यम से वादग्रस्त भूमि तहसील बीकानेर के ग्राम कोलासर के खेत खसरा नम्बर 205 तादादी 26 बीघा 18 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 317, 318, 494 तादादी 6.89 हेक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मानते हुए आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट् द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट् का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना तथ्यों व रिकार्ड के विपरीत जाकर, वाद प्रकिया को अपनाये बिना व वादग्रस्त भूमि के बाबत् आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट् को उनके विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि तहसील बीकानेर के ग्राम कोलासर के खेत खसरा नम्बर 205 तादादी 26 बीघा 18 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 317, 318, 494 तादादी 6.89 हेक्टर भूमि के बाबत् राजस्व दस्तावेजान् यथा मिसल बन्दोबस्त वर्ष 2006, जमाबन्दी संवत् 2010, 2013, जमाबन्दी संवत् 2020–2024, 2025–2028, 2033–36, 2065–68 खसरा गिरदावरी 2011–14 व खसरा नम्बर 205 का मिलान क्षेत्रफल, जिसके आधार पर नये खसरा नम्बर 317–318 व 494 बने है, प्रस्तुत करते हुए खातेदारी अधिकारों की धोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती की मांग किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा जरिये समन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को तलब किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी संवत् 2015–28 जिसके अनुसार खसरा नम्बर 205 तादादी 26 बीघा 18 बिस्वा भूमि जमना बेवाह पोकरराम जाति ब्राहमण सा. देह दर्ज रिकार्ड होना, अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् जमाबन्दी सवंत् 2012 की जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं किये जाने, अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने कब्जे काश्त के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विधिवत आवंटन को चुनौती नहीं दिये जाने के आधार पर अपीलांट् का वादपत्र खारिज किया गया है। अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील के माध्यम से भी न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप किया जा सके। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। प्रकरण में अपीलांट वादगत् भूमि पर किस प्रकार हितबद्व पक्षकार है यह दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित होता हो कि वे वादगत् भूमि पर उसके किसी प्रकार के हक व हकूक साबित होते हो। ऐसी स्थिति में जब दस्तावेजी साक्ष्य से यह भलीभांति साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है, लिहाजा केवल मात्र तकनीकी बिन्दु का सहारा लेते हुए प्रकरण को अनावश्यक रूप से प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27–05–2011 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 3/8/22 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

3/8/22

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

डिकरी ब सीगे अपील

(ऑ. 41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'G' 9)

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम बीकानेर
बइजलास रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

जगन्नाथ बनाम जमुना
(अपील संख्या 97/2011)

बनाराजगी निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, नोखा
मुवर्खे 27–05–2011

यह अपील ब–तारीख 03-08-2022 रूबरू हमारी, बहाजरी श्री अभिभाषक अपीलांट् श्री जयचन्दलाल सारस्वत व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दौलत सिंह तंवर व राजकीय अभिभाषक मिलापचन्द धतरवाल पेश होकर हुक्म हुआ। जिसके अनुसार अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–05–2011 यथावत बहाल रखा गया।

(खर्चा अपील हाजा का हल्व तफ्सीस जेरे तादादी मुबलिग ....–.........) रूपयें अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ....–.............. अदा करें ।

बशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 03 माह 08 सन् 2022 को जारी किया गया।

हस्ताक्षर राजस्व अपील प्राधिकारी,
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

मुहर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू.	पै.	रेस्पोडेन्ट	रू.	पै.
1. स्टाम्प अपील............ 2. स्टाम्प वकालतनामा .... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत् .... मीजान			1. स्टाम्प वकालतनामा............. 2. अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. मेहनताना वकील .... मीजान		